मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2000 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 27 जुलाई, 2000 (श्रावण 5, 1922)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री राजेन्द्र भारती (दतिया), कैलाश विजयवर्गीय, मुन्ना सिंह, सदस्य, दतिया जिला चिकित्सालय स्थित पुलिस चौकी में एक महिला के साथ पुलिस कर्मी द्वारा बलात्कार किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री अमर अग्रवाल, नरोत्तम मिश्रा, नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य, प्रदेश में चल रहे बन्दोबस्त कार्य को बंद किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री केदारनाथ शुक्ल, महेश तिवारी, रमाकांत तिवारी, सदस्य, सीधी जिले के भैंसवाही निवासी एक अनुसूचित जाति परिवार को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्रीमती शबनम मौसी, सदस्य, शहडोल जिले में मलेरिया से अनेक आदिवासियों की मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

3. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री ग्यारसीलाल रावत, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का दसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के दसवें प्रतिवेदन से सहमत है".

निर्धारित समय

4. वर्ष 2000-2001 की प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"दिनांक 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1,3,4,7,8,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,24,26,27,30,32,34,35,37, 39, 40,41, 42,44,45,47,48,52,55,56,58,60,63,64,65,67,68,75,79,80,81 तथा 82 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर सात सौ सोलह करोड़, पन्द्रह लाख, तेईस हजार, एक सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय".

2 घन्टे

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2000 (क्रमांक 22 सन् 2000) का पुरःस्थापन* करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(2) श्री रत्नेश सॉलोमन, उच्च शिक्षा मंत्री, द्वारा किये गये प्रस्ताव पर कि मध्यप्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतनों का संदाय) संशोधन विधेयक, 2000 (क्रमांक 19 सन् 2000) पर विचार किया जाय------चर्चा का पुनर्ग्रहण.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

---2--

*अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.

निर्धारित समय 1 घन्टा	(3) श्री सत्यनारायण शर्मा, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश आबकारी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 20 सन् 2000) पर विचार किया जाय. उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.
30 मि.	(4) श्री धनेन्द्र साहू, राज्यमंत्री धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश श्री महाकालेश्वर मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 21 सन् 2000) पर विचार किया जाय. उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.
	6. नियम 138 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा
1 घन्टा 30 मि.	प्रदेश में सड़कों की जर्जर हालत से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बृजमोहन अग्रवाल, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री भूपेन्द्र सिंह, डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, हरीशंकर जायसवाल (हरि भैया), नरोत्तम मिश्रा, लाल सिंह, लवकेश सिंह, नारायण प्रसाद चंदेल, अमर अग्रवाल, मुन्ना सिंह, प्रभाकर सिंह तथा श्री महेश तिवारी, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 26 जुलाई, 2000